गन्ना सुरक्षण बैठकों का करेंगे बहिष्कार

राब्यू, लखनऊ : निजी चीनी मिलों के इंकार के बावजूद गन्ना विभाग पेराई सत्र शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। मिलों को गन्ना क्षेत्र आवंटन करने के लिए सुरक्षण बैठकें दस सितंबर से शुरू होंगी, लेकिन मालिकानों का अड़ियल रवैया बरकरार है। बैठकों के बहिष्कार का एलान टकराव बढ़ने की आशंका बनाए है।

गन्ना सर्वे का बहिष्कार करने के बाद निजी चीनी मिल मालिक विगत सत्र की तरह इस बार भी सुरक्षण बैठकों से दूर रहने पर ही अड़े हैं। गन्ना व चीनी आयुक्त सुभाष चंद शर्मा ने बुधवार को बैठकों का कार्यक्रम जारी करते हुए पांच सितंबर तक गन्ना समितियों और चीनी मिलों से अपने प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है।

सुरक्षण बैठकों की तारीखों के बारे में मुख्य प्रचार अधिकारी डॉ. भूपेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि गन्ना किसान संस्थान में सहारनपुर परिक्षेत्र की सुरक्षण बैठक 10 सितंबर को और अंतिम बैठक 19 सितंबर को लखनऊ परिक्षेत्र की होगी। उधर यूपी चीनी मिल्स एसोसिएशन ने सुरक्षण बैठकें करने से पूर्व उद्योग को संरक्षण देने की मांग की है। प्रवक्ता का कहना है कि गन्ना समर्थन मूल्य मुद्दा न सुलझाए जाने तक मिलें चलाने का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि वित्तीय संकट के चलते भुगतान न हो सकेगा। सरकार पहले मिलों की समस्याओं के समाधान को तत्परता दिखाए तब मिलें चलाने की बात हो। संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय) वीके शुक्ल ने बताया कि प्रत्येक चीनी मिल से क्रय केंद्रों का विवरण, गन्ना मूल्य भुगतान व उपलब्ध चीनी स्टाक तथा मार्जिन मनी, कैश क्रेडिट लिमिट आदि सूचनाएं मांगी गई है। मिलों द्वारा 5 वर्ष में विकास कार्यों में व्यय धनराशि तथा नए क्रय केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव देने को कहा गया है।

- **टकराव के हालात, दस सितंबर से आरंभ होगी सुरक्षण बैठकें, पेराई सत्र शुरू करने की कवायद में जुटा विभाग**

गन्ना परिक्षेत्र बैठक की तारीख

सहारनपुर– 10 सितंबर
फैजाबाद व देवीपाटन–11 सितंबर
मेरठ– 12 सितंबर,
मुरादाबाद– 13 सितंबर,
गोरखपुर– 15 सितंबर,
बरेली– 16 सितंबर,
देवरिया– 18 सितंबर,
लखनऊ– 19 सितंबर

बकाया भुगतान की समस्या बरकरार

गत पेराई सत्र में 119 चीनी मिलों ने गन्ना पेराई की। लगभग 6978 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 647 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन किया गया। गत पेराई सत्र का मिलों पर 5159 करोड़ से अधिक रकम बकाया है। हाईकोर्ट के निर्देश व सरकार की सख्ती के बाद भी चीनी मिलों की दिलचस्पी किसानों की देनदारी चुकता करने में नहीं है।